

क्रमांक:- एफ 11(95 अ)एफसीए/मुवस/2023/ 1333
निमित्त,

दिनांक:- 12/4/23

उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:-Diversion of 4.9696 ha. forest land for Development of Bewar Masuda-
Goyala Road , Section of SH-26A From Km. 2+550 to Km. 72.400, in the
state of Rajasthan. FP/RJ/ROAD/21332/2016

संदर्भ:- आपके कार्यालय का ऑनलाईन ई.डी.एस जवाब दिनांक 29.03.2023 के क्रम
में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है उक्त प्रकरण प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016
की पार्ट II की पूर्ति कर प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया था, उक्त के सम्बन्ध में निम्न
आक्षेप अनुसार पुनः प्राक्कलन तैयार कर प्रेषित करें:-

“चूंकि प्रस्तावित सड़क वन खंड को दो भागों में विभाजित कर रही है, जिससे सड़क
के दोनों ओर अतिक्रमण एवं गैर वानिकी गतिविधियों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है,
इसलिए वन क्षेत्र को उक्त गतिविधियों से बचाने के लिए सड़क के दोनों ओर दीवार बनाये
जाना अपेक्षित है। जिसके लिए आपके कार्यालय को उक्त दीवार का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत
करने का निर्देश दिया गया, जिसके क्रम में आपके सन्दर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस जवाब द्वारा
कुल 6300 रनिंग मीटर दीवार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्तावित सड़क को गूगल अर्थ
पर देखने पर वन प्रखंड खिमपुरा पर चैनेज 10/872 पर अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। उक्त
क्षेत्र चैनेज 10/872 में सड़क से वन खंड के दोनों ओर लगभग 250-250 मीटर दीवार
निर्मित किया जाना अपेक्षित है, जिससे उक्त क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा सके एवं भविष्य में
भी गैर वानिकी गतिविधियों को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित सड़क के प्रत्यावर्तन
के कारण बनने वाली वन क्षेत्र की पट्टी की सीमा पर लगभग 500 मीटर की दीवार का निर्माण
भी अपेक्षित है, ताकि उक्त क्षेत्र में कोई गैर वन गतिविधि न हो सके।”

उपरोक्तानुसार पूर्व में दिये गये प्राक्कलन में संशोधन कर संशोधित प्राक्कलन पुनः प्रेषित
करें, जिससे उक्त प्रकरण उच्च कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

Signature valid

Digitally signed by N.V. (वन संरक्षक,
अजमेर।)
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.04.12 18:30:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3625757

